

दिनांक:- 22.08.2023

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता गीना आर.ए.एस
उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल
2. रूगनाथी देवी पत्नि रामप्रसाद
जाति मीना निवासी नांदकला तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(सायल)

बनाम

1. ठण्डीराम पुत्र किशनलाल
2. कैलाशी पत्नि ठण्डीराम
जाति मीना निवासी नांदकला तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थिति:- श्री हंसराम गूर्जर एडवोकट सायलान

निर्णय

दिनांक 21.06.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है
ग्राम नांद की आराजी ख0न0 1033/0.06, 1034/0.03, 1037/0.24, 1038/0.30, 1043/0.
1044/0.32, 1045/0.28, 1046/0.27, 1047/0.23, 1049/0.27, 1050/0.15, 1027/0.18,
29/0.45, 1030/0.33, 1031/0.31, 1032/0.50, 1036/0.23, 1149/0.08, 1150/0.11,
51/0.21, 1163/0.33, 1164/0.26, 1166/0.24, 1167/0.24, 1170/0.23, 1176/0.32,
34/0.85, 1293/0.14, 455/0.14, 456/0.10, 1195/0.36, 454/0.36, 466/0.04, 469/0.
470/0.12, 907/0.02, 908/0.16, 912/0.02, 913/0.02, 914/0.15, 915/0.47, 916/0.
528/0.29, 529/0.29, 530/0.10, 1330/0.25, 932/0.08, 963/0.47 है0 मे मुताबिक
माबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काशतकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे गैरसायल न0 1
2 तथा दावे के पक्षकार प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायलान व गैरसायल न0 1 व
व दावे के प्रतिवादीगण सहखातेदार ने आपसी काशत की सहूलियत की दृष्टि से मौके पर बटवारा
र रखा है। सायलान के कब्जे व हिस्से की भूमि ख0न0 1033, 1034, 1044, 1031, 1030, 1027,
49, 1163, 1167, 908, 907, 915, 530, 529, 1330, 932, 963, 454, 469 आयी है।

सायलान ने अपने हिस्से व बंट की जमीन मे लाखो रूपये लगाकर व मेहनत करके
मीन को काबिज काशत बनाया है। गैरसायल न0 1 व 2 जो सायलान के खास भाई, भाभी/जेठ
ठानी है उनकी नियत मे बेईमानी है और वह सायलान के हिस्से व कब्जे की भूमि को किसी
गर व्यक्ति को विक्रय, रहन करना चाहता है, जबकि उनका भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं है।

बाँका दिनांक 20.08.2023 का है कि तहसील टोडाभीम मे चलकर जमीन का बंटवारा
जरा लेते है, बगैर बटवारा कराये जमीन को विक्रय मत करो, इससे हमको काफी परेशानी हो
जायेगी तथा हम भूमि से बेदखल हो जायेगे तथा झगडा हो जायेगा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश
करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि ग्राम नांद की वर्णित
आराजीयात ख0न0 1033/0.06, 1034/0.03, 1037/0.24, 1038/0.30, 1043/0.06, 1044/0.32,
045/0.28, 1046/0.27, 1047/0.23, 1049/0.27, 1050/0.15, 1027/0.18, 1029/0.45,



(सुनीता गीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

0/0.33, 1031/0.31, 1032/0.50, 1036/0.23, 1149/0.08, 1150/0.11, 1151/0.21,
 3/0.33, 1164/0.26, 1166/0.24, 1167/0.24, 1170/0.23, 1176/0.32, 1184/0.85,
 3/0.14, 455/0.14, 456/0.10, 1195/0.36, 454/0.36, 466/0.04, 469/0.13, 470/0.12,
 /0.02, 908/0.16, 912/0.02, 913/0.02, 914/0.15, 915/0.47, 916/0.50, 528/0.29,
 1/0.29, 530/0.10, 1330/0.25, 932/0.08, 963/0.47 है0 में विक्रय रहन या नही करे। तथा
 गर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।
 सायलान बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र ने
 ति आराजीयात में मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।
 न्या हिस्से में गैरसायल न0 1 व 2 तथा दावे के पक्षकार प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड
 सायलान व गैरसायल न0 1 व 2 व दावे के प्रतिवादीगण सहखातेदार ने आपसी काश्त की
 लियत की दृष्टि से मौके पर बटवारा कर रखा है। सायलान के कब्जे व हिस्से की भूमि ख0 न0
 33, 1034, 1044, 1031, 1030, 1027, 1149, 1163, 1167, 908, 907, 915, 530, 529, 1330, 932,
 3, 454, 469 आयी है। सायलान ने अपने हिस्से व बंट की जमीन में लाखों रुपये लगाकर व
 नत करके जमीन को काबिज काश्त बनाया है। गैरसायल न0 1 व 2 जो सायलान के खास
 ई, भाभी/जेठ जेठानी है उनकी नियत में बेईमानी है और वह सायलान के हिस्से व कब्जे की
 ने को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय, रहन करना चाहता है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई
 षेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वर्णित आराजीयात का विक्रय रहन
 ान नही करे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन
 या। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 370 में कुल किता 11 कुल
 जवा 2.21 है0 में सायल न0 1, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के
 य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 37
 कुल किता 06 कुल रकवा 2.00 है0 में सायल न0 1, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज
 रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज
 रिकार्ड है। खाता संख्या 38 में कुल किता 13 कुल रकवा 2.65 है0 में सायल न0 1, 1/8 हिस्से
 तथा गैरसायल न0 1, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य
 सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 39 में कुल
 किता 01 कुल रकवा 0.36 है0 में सायल 1/8 हिस्से का तथा गैरसायल न0 1, 1/8 हिस्से का
 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार
 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 222 में कुल किता 11 कुल रकवा 1.99 है0 में
 सायल 1/4 हिस्से का तथा गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।
 शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।
 खाता संख्या 372 में कुल किता 03 कुल रकवा 0.68 है0 में सायल 2, 1/4 हिस्से का तथा
 गैरसायल न0 2, 3/68 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य
 सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 176 में
 कुल किता 03 कुल रकवा 0.80 है0 में सायल 2, 1/4 हिस्से का तथा गैरसायल न0 2, 1/4
 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी
 अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दावा बावत
 कास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसमें रिकार्ड व कब्जे के आधार पर दावा
 पार्थमिक डिक्री किया जा चुका है। गैरसायलान बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके
 विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष
 में साबित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसमें



(सुन्नीता मीना)

न्यायालय उखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 टोडाभीम, जिला-गंगापूर सिटी


न0:-85/2023

उनवान:- रामप्रसाद वनाम ठण्डी

रसायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी। उक्त विवेचन से सायल का प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम नांद की आराजी ख0न0 1033/0.06, 1034/0.03, 1037/0.24, 1038/0.06, 1043/0.06, 1044/0.32, 1045/0.28, 1046/0.27, 1047/0.23, 1049/0.27, 1050/0.15, 1027/0.18, 1029/0.45, 1030/0.33, 1031/0.31, 1032/0.50, 1036/0.23, 1149/0.08, 1050/0.11, 1151/0.21, 1163/0.33, 1164/0.26, 1166/0.24, 1167/0.24, 1170/0.23, 1176/0.32, 1184/0.85, 1293/0.14, 455/0.14, 456/0.10, 1195/0.36, 454/0.36, 466/0.13, 469/0.13, 470/0.12, 907/0.02, 908/0.16, 912/0.02, 913/0.02, 914/0.15, 915/0.02, 916/0.50, 528/0.29, 529/0.29, 530/0.10, 1330/0.25, 932/0.08, 963/0.47 हैं0 में पक्ष को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वर्णित आराजीयात में हार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)
न्यायालय-उपखण्ड प्रशासिका एवं पंचायत पुनर्गठन विभाग
टोडाभीम, जिला-गंगपुर सिटी